

आज्ञा पत्र

दिनांक

14-2-20

वकील के नाम से करीब 300/ बगावली वाले कोर्ट प्रांज कमील क्वैट हेतु पत्र -

वकील रेसो 0 ने निवेदन किया कि अपील सं-1 युद्धाराम का देफान्त दि 028/12/18 को ही युद्धाराम के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र पत्र किया है। अपील ने आज तक काम शुरू की कार्यवाही नहीं की है। जबकि अपील को यह प्रांज 90 दिन के अन्दर-अन्दर दे देना चाहिये था किन्तु अपील हम परेशान करने की निमत से अपील को जामबुक्त कर लम्बा कर रहे हैं। अपील की अपील सम्पूर्ण रूप से क्वैट हो चुकी है मगर प्रांज स्वीकार किया जाकर अपील क्वैट होने से स्वीकार की जाये।

वकील अपील ने निवेदन किया कि का 0 मु 0 की कार्यवाही कर दी जायेगी, अपील सं 0 का देफान्त होने पर अपील सं 0 के हद तक ही क्वैट होगी, शेष रेसो अपील की अपील क्वैट नहीं होगी। अतः रेसो 0 का प्रांज स्वीकार किया जाये।

प्रांज एवं अदालत पर गनन किया गया। प्रांज के साथ संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र में अपील सं 0 युद्धाराम की मृत्यु दि 028/12/18 को होने दर्ज है। जिसको लगभग 10 माह



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

दिनांक

आज्ञा पत्र

की गई है। प्रकार का भी पुराना है। अपील का प्रावधान कायम मुठ प्रेश नहीं करना अपील में कोई खान्य नहीं देखना जाहिर होता है। अतः रिस्पॉन्स का प्रावधान अपील ऑब्जेक्ट के स्वीकार किया जाकर। अपील ऑब्जेक्ट होने से रकारिज की जाती है। प्रभावली बाद तरीक तकमील शकवल दफ्तर है।

निर्देश सुकामा वासा।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कम्प डुन्हरी)